Vaswani Industries Limited
POWER • SPONGE IRON • STEEL
• CIN - L28939CT2003PLC015964 • GSTN 22AABCV9564E1ZB

Ref: VIL/BSE & NSE/2024/January/46 Date: 13.01.2024

To,
The Manager (Listing)
BSE Limited
The Secretary, Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai(M.H.) - 400001
BSE Script Code:533576

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd.
The Manager, Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051.
NSE Symbol: VASWANI

Sub: Intimation of Grant of Environmental Clearance pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that, the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) of Chhattisgarh, has accorded Environmental Clearance to the Company under the provision of EIA notification, 2006, for the proposed expansion:

S. No.	Unit (Product)	Proposed expansion project	After expansion capacity
1	Induction furnace (MS billet/ Ingot)	1,14,000 TPA	1,50,000 TPA (2 * 10 T & 2* 15 T)
2	Rolling Mill (rerolled product/ patra/ structural steel/ wire rod)	1,50,000 TPA	1,50,000 TPA (1 * 500 TPD)

This is for your information and records.

Attachment:-
1. Environmental Clearance Approval Letter

Thanking you
Yours Sincerely
For, Vaswani Industries Limited

Satya Narayana Gupta
Digitally signed by Satya Narayana Gupta
Date: 2024.01.13 11:53:13 +05'30'

Satya Narayan Gupta
(Director)
DIN: 09517381

Raipur

Regd. Office & Factory : Bahesar Road, Near Cycle Park, Village Sondra, Siltara Phase-II, Raipur (C.G.) Pin - 493 221
Mob.: 09977403360/ 90, **E-mail** : jhaji@vaswaniindustries.com, saurabh@vaswaniindustries.com, store@vaswaniindustries.com,
Website : www.vaswaniindustries.com

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Chhattisgarh)

To,

The CHIEF OPERATING OFFICER
VASWANI INDUSTRIES LIMITED
NEAR CYCLE PARK, BAHESAR ROAD, SONDRA, SILTARA, PHASE - II, RAIPUR , CHHATTISGARH -493221

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/CG/IND/60799/2021 dated 01 Sep 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC23B000CG122454**
2.	**File No.**	OL/EC/IND/RAIPUR/1554
3.	**Project Type**	Expansion
4.	**Category**	B1
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	N/A
6.	**Name of Project**	
7.	**Name of Company/Organization**	VASWANI INDUSTRIES LIMITED
8.	**Location of Project**	Chhattisgarh
9.	**TOR Date**	19 Apr 2021

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 06/12/2023

(e-signed)
P. Arun Prasad
Member Secretary
SEIAA - (Chhattisgarh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क्र. 1306 /एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. / 1554 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक:20/11/2023

प्रति,

मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
ग्राम–सोण्ड्रा,
तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय :– ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 456, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स, स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी / आईएनडी/ 60799/ 2021, दिनांक 01/09/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 24/07/2023.

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 01/09/2022 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 24/07/2023 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी /60799/2021, दिनांक 14/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/60799/ 2021, दिनांक 01/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 456, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27 करोड होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 645, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के पत्र दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नही है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कौशल वासवानी, सीओओ एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से स्पंज आयरन क्षमता–90,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित केप्टिव पॉवर प्लांट–9 मेगावॉट, एफ.बी.सी. आधारित केप्टिव पॉवर प्लांट– 2.5 मेगावॉट एवं एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता–36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 का अपूर्ण पालन होना बताया गया है एवं शेष सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अपूर्ण शर्त का पूर्ण पालन करने के संबध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–सोण्ड्रा 100 मीटर एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम अस्पताल 2.6 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी. दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 2.5 कि.मी., चोखरा नाला 1.2 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** वर्तमान में इकाई 11.84 हेक्टेयर में स्थापित है। क्षमता विस्तार हेतु 6.76 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड) है, जिसमें से डीआरआई किल्न (डब्ल्यू.एच.आर.बी.) का क्षेत्रफल 3 एकड, इण्डक्शन फर्नेश का क्षेत्रफल 2 एकड़, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, स्टोरेज एरिया 5 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3 एकड़, पार्किंग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वाटर रिजर्वायर एण्ड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 2.5 एकड़, एडमिन बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.05 एकड़, ओपन एरिया 7.45 एकड तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.4 एकड़ है।

5. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
1	**For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 1,50,000 TPA**			
A	Sponge Iron	1,52,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
B	MS Scrap / Pig Iron	23,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
C	Ferro alloys	3,000	Open market	By road (through covered trucks)
2	**For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 1,50,000TPA**			
A	Hot billets / MS Billets / ingots	1,65,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
3	**Gasifier for Rolling mill (2,000 Nm³/hr)**			
A	Coal (Indian)	5,940	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By rail & road (through covered trucks)
B	Coal (Imported)	3,800	Indonesia / south Africa / Australia	Through sea route, rail route & by road

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Unit (product)		Existing Operating Plant	Proposed Expansion project	After Expansion project
1.	DRI Kilns (sponge iron)		90,000 TPA (3 x100)	-	90,000 TPA (3 x100 TPD)
2.	Induction Furnace (MS Billet / Ingot)		36,000 TPA (2 x8 T)	1,14,000 TPA (Replacement of 2x8 T with 2x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with	1,50,000 TPA (2x10 T & 2x15 T)
3.	Rolling mill (Re-rolled product/ patra/structural steel/wire rod)		-	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace]	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through
4.	Power Plant	WHRB	9 MW	-	9 MW
		FBC	2.5 MW	-	2.5 MW

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 2 नग 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में फ्युम एक्सट्रेक्शन सिस्टम (उन्नयन कर) के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व कव्हर्ड कन्वेयर सिस्टम उपयोग किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

S. No.	Waste	Capacity (TPA)		Method of disposal
		Existing	Proposed	
1	Ash from DRI	16,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
2	Dolochar	27,000	-	Is being used as fuel for FBC based power plant.
3	Kiln Accretion slag	810	-	Is being utilised in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
4	Wet scraper sludge	4,140	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
5	SMS Slag	3,600	11,400	Slag from SMS is being crushed and iron is being recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature is used as sub base material in road construction/ used in two brick manufacturing units operating in plant premises. The same will be continued even after expansion also.
6	Mill scales from rolling mill	-	3,000	Will be given to near by ferro alloy units
7	End cutting from rolling mill	-	4,500	Will be recycled back as raw material in induction furnace.
8	Ash from power plant (with 100% Indian coal)	7,518	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with 100% Imported coal)	1,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + Indian coal)	17,643	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + Imported coal)	16,446	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
9	**Municipal Solid Waste**			
a	Construction debris (generated during construction phase)			Used for land fill within the plant site and Recyclables will be given to authorized recyclers.
b	Canteen waste			Used in composting/ vermiculture, used as manure for greenbelt development.
c	Recyclables			Given to SPCB authorized dealers.

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 960 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 940

घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 1,200 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1,170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से 12 लाख लीटर (1,200 घनमीटर) प्रतिदिन के लिये अनुमति लिया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 166 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न दूषित जल की कुल मात्रा 175 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उत्पन्न दूषित जल का पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है। साथ ही उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। गैसीफायर से जनित फिनॉलिक दूषित जल को स्वयं के पूर्व से स्थापित स्पंज आयरन किल्न में अपवहन किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, ड्राईंग सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,654 घनमीटर प्रति घण्टा है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 12 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 17 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसमें से 5.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति सीएसपीडीसीएल एवं 11.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति केप्टीव पॉवर प्लांट से किया जाएगा। वैकल्पिक

व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में 1.72 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 18.4 एकड़ (7.45 हेक्टेयर) 40.08 प्रतिशत क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 20 मीटर की चौडी सीमा पट्टी में एवं समीपस्थ गांव की तरफ 40 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारो ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधे रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2021 से 20 जून, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	38.6	52.6	60
PM_{10}	64.1	87.5	100
SO_2	8.9	25.6	80
NO_2	9.1	33.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	46.2	69.6	75
Night L_{eq}	38.2	56.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

Status	PCU / Day
Before operation of the expansion project	16,960.5
After operation of the Proposed expansion project	17,397.5

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/04/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – सीएसआईडीसी भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, सिलतरा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 13/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही रोड डेवलपमेंट, गांव के विकास, नहर, नाली के विकास आदि में भी सहयोग प्रदान किया जाए।

ii. उद्योग के विस्तार से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सड़कों में डस्ट उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होती है।

iii. उद्योग की वाहनों के आवागमन से आस–पास के सड़क मार्ग प्रभावित होते है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

iv. उद्योग के अंदर वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुददों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वर्तमान में उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग काम कर रहे है जिसमें से 71 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। स्थानीय ग्राम के साथ–साथ समीपवर्ती ग्रामों में विकास कार्य किया जाएगा।

ii. उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। सड़कों की सफाई के लिए मशीन लगा हुआ है एवं वॉटर टैंकर से जल छिड़काव किया जाता है।

iii. क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही सड़कों में वाहनों के आवागमनों से होने वाले फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव का कार्य किया जाएगा।

iv. वृक्षारोपण हेतु 30 एकड़ में से 11.50 एकड़ भूमि में पौधे रोपित किये गये है जिसमें लगभग 14,900 पौधे लगे हुए है एवं प्रतिवर्ष अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की कोशिश करते है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	1%	27	Following activities at, **Village-Bhaismuda**	
			Eco-Park Nirman	28.26
			Total	**28.26**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,500 नग पौधों के लिए राशि 7,17,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,75,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,56,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 11,69,250 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैंसमुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(पार्ट), क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, ड्राईंग सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. उद्योग परिसर के चारो ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी अर्थात् 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।

7. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 5 के अपूर्ण पालन का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दो के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। पॉवर प्लांट से जनित दूषित जल के उपचार हेतु इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। गैसीफायर सें जनित फिनॉलिक वेस्ट वाटर को डी.आर.आई. किल्न के आफटर बरनिंग चेम्बर में जलाये जाने का प्रस्ताव है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 621.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 9.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 162.3 टन प्रतिवर्ष हैं। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।

   प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15.552 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इण्डक्शन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6.221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 215.136 टन प्रतिवर्ष होगा। स्थापित स्पंज आयरन किल्न एवं स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल पार्टिकुलेट मेटर उर्त्सजन की मात्रा 123.509 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 995.476 टन प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत है, जिसके कारण माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 10/07/2019 एवं दिनांक

23/08/2019 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार "For expansion and diversification activity, the pollution load shall not exceed the existing load for which consent has been granted." जारी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थापित इकाई से क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार बढ़ोतरी हो रही है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.व्ही.ए. एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई से 3.5 मीटर अधिक है। किया जाना प्रस्तावित है।

5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल का 40.08 प्रतिशत में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में पुनः उद्योग परिसर का परीक्षण उपरांत कुल क्षेत्रफल के 42.5 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,15,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,29,250 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 19,61,013.23 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्मति शर्त के अपूर्ण पालन (स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना नहीं करने) का पूर्ण पालन करने के संबंध में बताया गया कि नियमानुसार इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। अन्य इकाई जैसे कि स्थापित स्पंज आयरन एवं एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट में सी.ई.एम.एस. की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में सी.ई.एम.एस. की स्थापना प्रस्तावित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु ब्राऊन फिल्ड होने के कारण पूर्व में सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तुत कुल लागत का 1 प्रतिशत प्रस्ताव (28.26 लाख) को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना समिति के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रथम बार आये जाने के कारण सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तो का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताप (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रदूषण भार संबंधी विवरण:– परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की संशोधित गणना कर (प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा) निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–
   - वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 621.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने

से उत्सर्जन की मात्रा 9.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 162.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मेटर उत्र्सजन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।

- प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15.552 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इण्डक्शन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 0.6221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 21.5136 टन प्रतिवर्ष होगा। वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न के वायु प्रदूषण नियत्रण उपकरणों की दक्षता (Efficiency) में वृद्धि एवं उच्च गुणवत्ता के कोयले का उपयोग किया जाकर पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 16.2 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 607.5 टन प्रतिवर्ष होगी तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता (Efficiency) में वृद्धि किया जाकर पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 29.16 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 143.62 टन प्रतिवर्ष होगी। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल पार्टिकुलेट मेटर उत्र्सजन की मात्रा 82.27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 772.631 टन प्रतिवर्ष होगी।

2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कूल में कार्य प्रस्तावित किये जाने के स्थान पर ग्राम पंचायत भैंसमुडा से ईको पार्क निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि 2.5 हेक्टेयर हेतु अनुरोध किया गया। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण के लिए संशोधित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	2%	54	Following activities at.	

			Village-Bhaismuda	
			Eco Park Nirman	54.79
			Total	**54.79**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 8,000 नग पौधों के लिए राशि 16,40,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 4,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 2,92,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 32,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,47,489 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैंसमुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(पार्ट), क्षेत्रफल 5.565 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 456, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/10/2023 को संपन्न 157वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. सी.ई.आर. के तहत् एवं प्लांट परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए, पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 456, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum stack height 47 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project

proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from process. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. Industry shall ensure that phenolic wastewater shall be procured only in rubber lined tankers/HDPE drums in accordance with the provisions stipulated in Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iii. Phenolic waste water generated from the coal gasifier shall be incinerated in After Burning Chamber of DRI kiln.

iv. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

vii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
viii. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
ix. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) rolling mill. Industry shall produced re-rolled products through reheating furnace maximum of capacity 22,500 Tonnes per annum.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder shall be given to cement plant.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. Zinc dross, Zinc ash generated from the galvanizing plant, waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 42.50% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
ii. The project proponent shall prepar.e GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	2%	54	Following activities at, **Village-Bhaismuda**	
			Eco Park Nirman	54.79
			Total	**54.79**

ii. Development of "Eco Park Nirman" at village Bhaismuda, khasra no. 22/3(part) area 5 hectare as dense and religious plantaion. Estimate cost of this plantaion is around **Rs. 54.79 Lakhs.**
iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective.
iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
vii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
viii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.
ix. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

X. Additional Conditions

i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / Information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

xx. सी.ई.आर. के तहत् एवं प्लांट परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

xxi. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'ईको पार्क निर्माण' में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

पृ.क. 1907 /एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./1554 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/11/2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
2. एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. सदस्य सचिव, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–II, विंग–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
5. कलेक्टर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़

Signature valid
Digitally signed by: Shri P. Arun Prasad
Designation: Member Secretary
Date and Time: 12/6/2023 5:02:36 PM